

पैतृक संपत्तिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रलिस के लयल:

पैतृक संपत्तिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, [मललकषरा कानून](#), शून्य ववलह, हदु ववलह अधनलयम, 1955, [हदु अवभलजतल परवलर](#), दायभाग कानून

मेन्स के लयल:

पैतृक संपत्तिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

[स्रोत: द हदु](#)

चरचा में कयों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने फैसला सुनाया है कशून्य अथवा अमान्य ववलह से पैदा हुए बच्चे [मललकषरा कानून](#) के तहत संयुक्त हदु परवलर की संपत्तलमें अपने माता-पतल का हसलसा प्राप्त कर सकते हैं ।

- हालँक इसमें इस बात पर ज़ोर दलया गया कयल बच्चे परवलर में कसल अनंय वयक्तलकी संपत्तलमें अथवा उसके अधिकार के हकदार नहीं होंगे ।

नोट:

- **शून्य ववलह:** यह ऐसा ववलह है जो शुरु में वैध होता है लेकनल यदकलई पक्ष इसे रदद करना चाहे तो इसमें व्याप्त कुछ दोष अथवा शर्तों के तहत इसे रदद कर सकतल/सकतल है ।
- **अमान्य ववलह:** यह वह ववलह है जसल शुरु से ही अमान्य माना जाता है जैसे कयलह कानून की नज़र में कभी असतत्व में ही नहीं था ।

पृष्ठभूमल:

- **रेवनासदलदप्पा बनाम मललकलरुन, 2011** वाद में यह फैसला दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में दलया गया था, जसलमें कहा गया था कल अमान्य/शून्य ववलह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पतल की संपत्तलको प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वह संपत्तल स्व-अर्जतल हो अथवा पैतृक ।
 - यह मामला [हदु ववलह अधनलयम, 1955](#) की धारा 16(3) में संशोधतल प्रावधान से संबंधतल था ।
- इस फैसले ने ऐसे बच्चों के वरलसत/पैतृक संपत्तलसंबंधी अधिकारों को मान्यता देने की नींव रखी ।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- **वरलसत हसलसेदारी का नरलधारण:**
 - शून्य अथवा अमान्य ववलह से कसल बच्चे के लयल वरलसत में हसलसा प्रदान करने की दशल में पहला कदम **पैतृक संपत्तलमें उनके माता-पतल की सटीक हसलसेदारी का पता लगाना** है ।
 - इस नरलधारण में पैतृक संपत्तलका **"काल्पनकल वभलजन (Notional Partition)"** करना शामिल है ताकलस हसलसे की गणना की जा सके जो माता-पतल को उनकी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त हुआ होगा ।
- **वरलसत का कानूनी आधार:**
 - **हदु ववलह अधनलयम, 1955** की धारा 16 शून्य या अमान्य ववलह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करने में अहम भूमकल नभलतल है, यह ऐसे बच्चों की अपने माता-पतल की संपत्तलपर अधिकार नरलधारतल करतल है ।

■ **समान वरिसत अधिकार:**

- हट्टि उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जो पैतृक संपत्तिको वनियमिति करता है, के तहत शून्य या अमान्य वविह से हुए बच्चों को वैध परजिन" माना जाता है ।
- जब पारवारिक संपत्ति वरिसत में मलिने की बात आती है तो उन्हें नाजायज़ नहीं माना जा सकता ।

■ **हट्टि उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का प्रभाव:**

- न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2005 में हट्टि उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के बाद **मतिाक्षरा कानून** द्वारा शासित संयुक्त हट्टि परिवार में एक मृत व्यक्तिका हसिसा वसीयत अथवा बनिा वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त कथिा जा सकता है ।
- इस संशोधन ने उत्तरजीवतिा से परे वरिसत के दायरे का वसितार कथिा और महिलाओं तथा पुरुषों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान कथिा ।

नोट: जून 2022 में कट्टुकंडी एडाथलि कृषणन तथा अन्य बनाम कट्टुकंडी एडाथलि वालसन और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **लिंवि-इन रलैशनशिपि में पार्टनर से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जा सकता है ।** यह एक तरह से सशर्त है कि संबंध दीर्घकालिक होना चाहिये, न कि 'आकस्मिक' प्रकृति का ।

बेटी की वरिसत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:

■ **अरुणाचल गौंडर बनाम पोनुसामी, 2022:**

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **बनिा वसीयत के मरने वाले हट्टि पुरुष की स्व-अर्जति संपत्ति, वरिसत द्वारा हस्तांतरित होगी, न कि उत्तराधिकार द्वारा ।**
- इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि ऐसी संपत्ति **बेटी को वरिसत में मलिंगी**, जो कि बैटवारे के माध्यम से प्राप्त सहदायिक संपत्ति के अलावा होगी ।

■ **वनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 2020**

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक **महिला/बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी** माना जाएगा और वह पैतृक संपत्ति को पुरुष उत्तराधिकारी के समान ही प्राप्त कर सकती है, भले ही हट्टि उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पहले पतिा जीवति नहीं था ।

मतिाक्षरा कानून:

■ **परचिय:**

- मतिाक्षरा कानून एक **कानूनी और पारंपरिक हट्टि कानून प्रणाली** है जो मुख्य रूप से **हट्टि अवभिजति परिवार (HUF)** के सदस्यों के बीच वरिसत और संपत्ति के अधिकारों के नियमों को नियंत्रित करती है ।
 - यह हट्टि कानून के दो प्रमुख स्कूलों में से एक है, दूसरा **दायभाग स्कूल** है ।
- उत्तराधिकार का मतिाक्षरा कानून **पश्चिमि बंगाल और असम को छोड़कर** पूरे देश में लागू होता है ।

हट्टि वधियों के प्रकार	
मतिाक्षरा कानून	दायभाग कानून
मतिाक्षरा शब्द याज्ञवल्क्य स्मृति पर वजिज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई एक टपिपणी के नाम से लथिा गया है ।	एक पत्नी बैटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकिन उसे अपने पति और बेटों के बीच कसिी भी बैटवारे में हसिसेदारी का अधिकार है ।
इसका अनुसरण भारत के सभी भागों में कथिा जाता है तथा बनारस, मथिलिा, महाराष्ट्र और दरवडि स्कूलों में वभिजति है ।	इसका अनुसरण बंगाल और असम में कथिा जाता है ।
एक सहदायिक का हसिसा परभिषति नहीं है और इसका नपिटान नहीं कथिा जा सकता है ।	एक पुत्र के पास जन्म से स्वतः स्वामति का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह इसे अपने पति की मृत्यु पर प्राप्त करता है ।
सभी सदस्य पति के जीवनकाल के दौरान सहदायिकी अधिकार प्राप्त करते हैं ।	पति के जीवति रहने पर पुत्रों को सहदायिकी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।
एक सहदायिक का हसिसा परभिषति नहीं है और इसका नपिटान नहीं कथिा जा सकता है ।	प्रत्येक सहदायिक का हसिसा परभिषति कथिा गया है और उसका नपिटान कथिा जा सकता है ।
एक पत्नी बैटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकिन उसे अपने पति और बेटों के बीच कसिी भी बैटवारे में हसिसेदारी का अधिकार है ।	यहाँ महिलाओं के लथि समान अधिकार मौजूद नहीं हैं क्योंकि बैटे वभिजन की मांग नहीं कर सकते क्योंकि पति पूर्ण मालकि है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??/??/??/??/??/??/??/??:

प्रश्न. प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2021)

1. मतिक्षरा ऊँची जाति की सविलि वधि थी और दायभाग नमिन जाति की सविलि वधि थी।
2. मतिक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पति के जीवनकाल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पति की मृत्यु के उपरान्त ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे।
3. मतिक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति-संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों, दोनों के संपत्ति-संबंधी मामलों पर विचार करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

वज्रानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका मतिक्षरा पूरे देश में (बंगाल, असम तथा उड़ीसा एवं बिहार के कुछ भागों को छोड़कर जहाँ दायभाग व्यवस्था लागू थी) संपत्ति के अधिकार के लिये कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। मतिक्षरा और दायभाग जातिभेद नहीं करती थी, यानी ऊँची या नीची जाति के लिये नहीं लिखी गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है।

मतिक्षरा व्यवस्था में पति के जीवित रहते पुत्र, पति की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकता था जबकि दायभाग पति की मृत्यु के पश्चात् ऐसे किसी दावे पर विचार करती थी। अतः कथन 2 सही है।

मतिक्षरा और दायभाग स्त्री-पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार व्यक्त करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

अतः विकल्प (b) सही है।